मुण्डा जनजाति का विवाह संस्कार : एक अध्ययन

सोमा महतो

शोध छात्र, विश्वविद्यालय मुण्डारी विभाग
राँची विश्वविद्यालय, राँची (झारखण्ड)

शोध आलेख सार :–
मुण्डा जनजाति भारत के प्राचीनतम निवासी हैं, जो मुख्यतः झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में बसे हैं। इनकी भाषा मुण्डारी है और यह प्रोटोऑस्ट्रोलायड प्रजाति से संबंधित हैं। मुण्डा समाज में विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, जिसे वयस्कता प्राप्ति के बाद सम्पन्न किया जाता है। विवाह प्रक्रिया तीन प्रमुख चरणों में विभाजित है – विवाह पूर्व संस्कार, विवाह संस्कार और विवाह उपरांत संस्कार। विवाह पूर्व में वर–वधू को देखना, वधूमूल्य निर्धारण और परिवारों की सहमति ली जाती है। विवाह संस्कार के दौरान मंडप निर्माण, हल्दी–तेल की रस्म और सिंदूरदान की परंपरा निभाई जाती है। विवाह उपरांत 'बगाउती बोंगा' अनुष्ठान द्वारा नवविवाहितों का गाँव के देवी–देवताओं से परिचय कराया जाता है। यदि विवाह विच्छेद (सकम चिरा) आवश्यक हो, तो विशेष परंपरा के तहत जोड़ी अलग होती है। मुण्डा समाज में विवाह न केवल सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है, बल्कि प्राकृतिक शक्तियों और समुदाय के प्रति आस्था को भी अभिव्यक्त करता है। यह लेख मुण्डा जनजाति के विवाह संस्कारों की विशिष्ट परंपराओं और उनके सामाजिक–सांस्कृतिक महत्व को उजागर करता है।

मूल शब्द :– मुण्डा जनजाति, विवाह पद्धति, किली(गोत्र), मुण्डारी भाषा, सामाजिक संस्कार।

प्रस्तावना :–
आदि काल से ही मुण्डा जनजाति भारतवर्ष की धरती पर निवास करती आ रही है। यह जनजाति लगभग 600 ई. पू. (कुछ विद्वानों के अनुसार लगभग 1500 ई. पू.) से छोटानागपुर (झारखण्ड) की माटी में रचती–बसती चली आ रही है। इस जनजाति को विद्वानों ने प्रोटोऑस्ट्रोलायड प्रजाति की शाखा के रूप में चिन्हित किया है। ये लोग भाषायी/भाषिक दृष्टि से आस्ट्रिक या अग्नेय भाषा परिवार की उपशाखा की भाषा "मुण्डा" या "मुण्डारी" का प्रयोग करते हैं।

भारतवर्ष में मुख्यतः इनका निवास स्थान झारखण्ड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, अंडमान–निकोबार आदि राज्यों में है। इसके अलावे प्रोटोऑस्ट्रोलाड प्रजाति के लोग एशिया महादेश के दक्षिण–पूर्व से लेकर सुदूर आस्ट्रेलिया महाद्वीप तक विस्तृत रूप में फैले हैं। परन्तु मुण्डाओं का सबसे अधिक बसाव झारखण्ड के छोटानागपुर पठार में पाया जाता है। झारखण्ड में कुल 32 जनजातियाँ हैं। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 86,45,000 है। जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2 प्रतिशत है। जिसमें मुण्डा जनजाति की जनसंख्या 12,44,000 है। जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 14.56 प्रतिशत है। मुण्डा जनजाति, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखण्ड में तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है।

विवाह पद्धति :–
सृष्टि प्रक्रिया को कायम रखने और आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सारी सृष्टि में विवाह की व्यवस्था की। प्राणियों के बीच तो हम यह बात देखते ही हैं, प्राणी–इतर अवयवों में भी इसका प्रतीक–विस्तार हुआ है। यथा जल वृष्टि के लिए सूर्य/आसमान के साथ धरती का विवाह। मनुष्यों में विवाह व्यवस्था इसी

ईश्वरीय योजना का एक अंग है। मुण्डा आदिवासी समाज में सामान्यता वयस्कता प्राप्त करने के बाद ही आदमी विवाहित जीवन में प्रवेश करता है, जब उसे घर–द्वार चलाने की पात्रता हांसिल होती है। लड़के के लिए हल–जुआट बनाने आना और लड़की के लिए चटाई बिनने आना विवाह की सामान्य शर्तें होती हैं। आवश्यक शर्तों में यह भी है कि लड़का–लड़की एक ही समुदाय किन्तु अलग–अलग किलि (गोत्र) के हों। लड़का–लकड़ी साधाणतः अपने परिचय के दायरे के ही होते हैं और एक–दूसरे की पसन्द के होते हैं, परिवार का समर्थन भी प्राप्त करना अनिवार्य होता है।

इन को व्यक्तियों/घरों/परिवारों को मिलाने की इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थता करनेवाले (दुतमदार/अगुआ) की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होती है। आरम्भ से अन्त तक इस आयोजन का सफल समापन बहुत हद तक इसी अगुआ के समन्वय–सामर्थ्य पर निर्भर करता है। विवाह के विभिन्न वैधिक आनुष्ठानिक चरणों में लड़की देखने, लड़का देखने, वधू मूल्य–निर्धारण करने इत्यादि में शकुन/अपशकुन विचार से लेकर व्यवधानों को दूर करने में उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्व होती है। अगुआ के नेतृत्व में जब दोनों पक्षों के लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि प्रस्तावित विवाह–सम्बन्ध को आगे बढ़ाया जा सकता है तो उसकी नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरु की जाती है। इस प्रक्रिया के तीन मुख्य चरण या संस्कार होते हैं :–

1. विवाह पूर्व संस्कार
2. विवाह संस्कार
3. विवाह के बाद का संस्कार

1.विवाह पूर्व संस्कार :–

अगुआ के निर्देशानुसार कन्या/लड़की देखने जाने का दिन निर्धारित होता है। अगुआ के साथ वरपक्ष के कुछ (5–9) जानकर/अनुभवी लोग जिनमें बिरादरी और कुटुम्ब के लोग होते हैं, वर के घर में तेल पूजन की रस्में होती है। इसके पश्चात् कन्या के घर लड़की देखने के लिए प्रस्तान करते है।

लड़की (कन्या) देखना :–

इस पूजा के बाद सरसो या करन्ज के तेल को वर को छुआया जाता है। उसके बाद उसे अन्य लोगों को भी तेल लगाया जाता है। तेल पूजन के बाद अगुआ की अगुवाई में लड़की के घर जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर स्वागत–सत्कार के बाद औपचारिक बातचीत शुरू होती है इसके पश्चात् लड़की पक्ष के तरफ से कन्या को देखने आये लोगों के सामने कन्या और उसकी एक सहेली द्वारा सभी लोगों का बारी–बारी से पैर धो देते है। धोने के क्रम में वर पक्ष के बुद्धिजिबियों द्वारा वार्तालप के रूप से प्रश्न उत्तर शैली में होती है और जो उपहार के रूप में लाये गए है वे सभी दिये जाते है। यही ये संस्कार समाप्त होती है।

लड़का (वर) देखना :–

निर्धारित तिथि को लड़की देखने के समय की ही तरह तेल पूजन के उपरान्त लड़की दल अगुआ के नेतृत्व में लड़की के घर से सूर्योदय के पहले ही प्रस्थान करता है। लड़के का घर पहुँचने पर वहाँ उनका औपचारिक स्वागत होता है और बैठने को जगह देने के बाद जलपान दिया जाता है। वहाँ पहुँचने पर स्वागत–सत्कार के बाद औपचारिक बातचीत शुरू होती है इसके पश्चात् लड़का पक्ष के तरफ से लड़का को देखने आये लोगों के सामने लड़का(वर) और एक साथी के साथ सभी लोगों का बरी–बरी से जोहर कर अभिवादन करते है। इसके बाद कन्या पक्ष के बुद्धिजिबियों द्वारा वार्तालप के रूप से प्रश्न उत्तर शैली में होती है और जो उपहार के रूप में लाये गए है वे सभी दिये जाते है। यही ये संस्कार समाप्त होती है।

2. विवाह संस्कार :–

विवाह की तैयारी में नियत तिथि के एक महीना पहले से दोंनो पक्षों की ओर से निमंत्रण–संदेश अपने संबंधियों को भेजे जाते हैं। हल्दी में रंगे चावल के दाने सुपारी के साथ शालपत्र में दिए जाते हैं।

निमंत्रण–संदेश में मण्डपाच्छादन, हल्दी–तेल, बारात प्रस्थान/आगमन एवं विवाह की तिथियाँ सम्मिलित होती हैं।

मण्डपाच्छादन :–

निश्चित तिथि को सुबह गाँव के पुरुष नजदीक के जंगल से साल की डालियाँ ले आते हैं और विवाह मण्डप छाते है। मण्डप में पूजास्थल (विवाह–वेदी) के चार खूँटे वर–कन्या के बहनोई(जीजा) द्वारा गाड़े जाते हैं। वहीं वेदी के बीच के खूँटे से लगाकर महुआ, बाँस, भेलवा और ओतरों की लताएँ (सभी दीर्घ जीवन, समृद्धि और शुचिता के प्रतीक) बाँधता है। वेदी का निमार्ण एवं अल्पना द्वारा उसकी सजावट दो कुमारी लड़कियों द्वारा सम्पन्न होता है। मण्डपाच्छादन का काम पूरा होने पर इस काम में लगे सभी को हड़िया पीने को दी जाती है।

हल्दी तेल :–

विवाह–वेदी को सजाने वाली लड़कियाँ वर/कन्या को तेल मिश्रित हल्दी लगाती हैं और आनेवाले शुभ अवसर के लिए उसे मानसिक रूप से स्थिर करती हैं। "स्थिर" इसलिए की इसके बाद वर/कन्या को घर से बाहर निकलने की मनाही होती है। अगर वह निकलता/निकलती भी है तो कोई न कोई साथ मे होता है।

वर के घर पर कन्या लाने के लिए निकलने से पहले मण्डप पूज/आदिवास बोगा ा होती है। जिसमें सिंङबोंगा, धरती माँ, पहाड़ के पहाड़ी देव, जल के जल देवता तथा घर के गृह देव (पूरखा–पूवर्ज) को आह्वान कर उनका बखान करते हुए विवाह सफल पूर्वक सम्पन्न होने की कामना की जाती है। तदान्त मंडप पूजा/आदिवास बोगा के बाद दुल्हा 'आम्र साक्षी' के लिए जाता है और उधर ही से कन्या के गाँव जाने के लिए निकलता है।

वर को बारात के साथ कन्या के घर पहुँचने पर स्वागत होता है एवं अत्यंत ही संक्षेप में विवाह का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक बिन्दु लड़का–लड़की द्वारा परस्पर सिन्दुर दान, जो कि सामान्यता लड़की के घर में सम्पन्न होता है। उसके पहले की तैयारियाँ– उपवास द्वारा मन और शरीर की पवित्रता, विवाह में प्रकृति/देवताओं को साक्षी बनाना इत्यादि–इत्यादि, इसी बिन्दु को लक्षित होती हैं। नयी जोड़ी–मिलन की सफलता की कामना को अर्पित प्रतीकात्मकता सारे वातावरण को घेरे रहती है। विवाह मंडप, जिसका निर्माण साल के पाँच खूँटों से किया जाता है, के बीच के खूँटे से बंधे बांस, खेर, घास, महुआ और भेलवा की डाल इत्यादि विवाह के बाद वर–वधू स्नानार्थ बैठने के लिए जुआ, सील पत्थर इत्यादि सब कुछ विवाह की सुदृढ़ता की मंगल कामना को प्रतिबिंबित करते हैं। वर–वधू द्वारा सिन्दुर आदान–प्रदान की पूर्व पीठिका के रूप में गाँव के पाहन/बैगा/बुजुर्ग परमेश्वर और अन्य देवताओं के साक्ष्य में आशीर्वचन देते हैं और वर–वध कोू युगों तक एक–दूसरे के साथ निर्वाह की प्रतिज्ञा कराते हैं।

वर–वधू की अग्नि परिक्रमा/प्रदक्षिण, चुमावन और तदान्तर वर–वधू द्वारा बुजर्गो को नमन और उभयपक्षों के "समधी मिलन" के साथ मूल विवाह अनुष्ठान सम्पन्न हो जाता है और वर–वधू को कुछ समय के लिए घर के अंदर ले लाया जाता है। इसी बीच कुटुम्ब–बंधुओं को यथायोग्य जलपान/भोजन की तैयारी हो जाने पर वे फिर निकलते हैं और सबको खिलाने की पहल कर फिर अन्दर चले जाते हैं। खान–पान के बाद नाच–गान का कार्यक्रम होता है और उसके बाद विदाई की तैयारी। विदा के समय लड़की का बाप अपने समधी से सविनय आग्रह करता है कि लड़की के गृह कार्य एवं अतिथि सत्कार के प्रशिक्षण में अगर कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसकी गलतियों पर कृपया ध्यान न देकर उसे प्यार से समझाएँ–सिखाएँ और सुख–दुख में उन्हें (समधी को) याद करें।

3. विवाह के बाद का संस्कार :–

मुण्डाओं का विश्वास है कि जब किसी नई दुलहन को दुल्हे के घर विवाह पश्चात् लाया जाता है। तो उस गाँव के बोंगा जैसे जंगल, जल तथा अन्य बोंगाओं से नई दुल्हन का परिचय कराया जाता है। इसके लिए ये 'बगाउती बोंगा' अनुष्ठान का आयोजन करते हैं। बारात लौटने के दूसरे दिन पहली बेला के वक्त घर से बाहर एकान्त स्थल पर इस अनुष्ठान को किया जाता है। इसके लिए पूजा स्थल को साफ किया जाता है। मिट्टी का एक बाघ, एक साँप बनाया जाता है। पूजा सामग्री में आग, दीप, धूवन, लोटे में पानी, कच्चा हल्दी का बीज, तपन हंड़िया एवं लाल बकरा/भेडा और कुछ मुर्गे (वर–वधु के राशि अनुसार मुर्गो के प्रकार का चयन किया जाता है।) पाहन/सोखा/पुरोहित, वर–वधु के साथ पूरब की ओर मुँह करके पूजा करते है।

नव दम्पत्ती पीठ की तरफ करके, मिट्टी के बाघ, साँप और कच्चा गोटा हल्दी को काटते हैं और बिन पीछे मुड़े, देखे वहाँ से चले जाते हैं। नए वर–वधु उधर से ही स्नान करने चले जाते हैं। वापसी में वे दोनों उस रास्ते को छोड़(जिससे वह जाते है) दूसरे रास्ते से घर वापस लौट आते हैं।

विवाह विच्छेद (सकम चिरा) से सम्बन्धित संस्कार :–

मुण्डाओं का विश्वास है कि पति–पत्नी का जोड़ी तो 'सिङबोंगा' ने निश्चित किया है। इस लिए एक–दूसरे के प्रति इन्हें ईमानदार रहना चाहिए। न केवल पति–पत्नी के बीच परन्तु पति के परिवार के साथ भी ईमानदार रहना चाहिए। परन्तु पति–पत्नी के बीच या पति के परिवार वाले के साथ किसी कारण से असामंजस्य हो, तो पत्नी अपने वैयक्तिक सामान को लेकर माँ–बाप के घर मायके आ जाती है। दोनो के वज्र बनी रहती है। ऐसे में पंचायत, पति को अधिकार देती है कि वधू–मूल्य के सभी वस्तु और जानवर वापस ले लें। लेन–देन के छूटने पर वे दोनो अन्त में साल के पत्ते को दोनों दम्पत्ती पकड़ते हैं और उसे बीचो–बीच फाड़ते हैं। इस रस्म के बाद दोनों पति–पत्नी के बीच तलाक समझ लिया जाता है। 'सकम चिरा' यानी 'तलाक' के उपरान्त दोनो दूसरी शादी के लिए स्वतंत्र होते हैं।

निष्कर्ष : –

मुण्डा जनजाति का विवाह संस्कार उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का जीवंत प्रतीक है। विवाह न केवल दो व्यक्तियों का मिलन है, बल्कि दो परिवारों और समुदायों के बीच संबंधों का सुदृढ़ीकरण भी है। विवाह प्रक्रिया में अगुआ की महत्वपूर्ण भूमिका, वधू मूल्य निर्धारण, मंडपाच्छादन, हल्दी–तेल रस्म और सिंदूरदान जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से समाज में सामूहिकता और सहयोग की भावना प्रकट होती है। 'बगाउती बोंगा' जैसे अनुष्ठानों से नवविवाहितों का प्रकृति और ग्राम्य देवी–देवताओं से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। विवाह विच्छेद (सकम चिरा) की परंपरा से समाज में स्पष्टता और सामाजिक मर्यादा बनाए रखने का प्रयास दिखता है। कुल मिलाकर, मुण्डा जनजाति का विवाह संस्कार उनकी जीवन–दृष्टि, प्रकृति के प्रति श्रद्धा और सामाजिक अनुशासन का सशक्त उदाहरण है। यह लेख मुण्डा समाज की सांस्कृतिक विविधता और परंपरागत जीवन मूल्यों को गहराई से समझने में सहायक सिद्ध होता है।

संदर्भ ग्रन्थ :–

1 श्री जगदीश त्रिगुणायत, मुंडा लोक कथाएं, अधिक्षक सचिवालय शाखा मुंद्राणलय बिहार, राँची, पृ. सं.–43
2 श्री जगदीश त्रिगुणायत, मुंडा लोक कथाएं, अधिक्षक सचिवालय शाखा मुंद्राणलय बिहार, राँची, पृ. सं.–56
3 प्यारी टूटी, मुंडा कोआः दस्तूर जोनोमाते गोनोःए सोमते, आई. डी. पिब्लिशिंग, राँची, पृ. सं.–8
4 जोसेफ कंडूलना, एस.डी.बी., मुंडाकोअः संसकिर, छोटानागपुर मुंडा संसकिर संगोम समइति, लचड़ागढ़ सिमडेगा झारखण्ड

5 अमरदीप होरो, मुंडा आदिवासियों का समाज, संस्कृति और इतिहास, काथलिक प्रेस राँची, पृ. सं.– 27
6 अमरदीप होरो, मुंडा आदिवासियों का समाज, संस्कृति और इतिहास, काथलिक प्रेस राँची, पृ. सं.– 28
7 डॉ. जुरन सिंह मानकी, मुंडा साहित्य में संस्कार, अप्रकाशित, शोध प्रबंध पृ. सं. 132–145
8 डॉ. रामदयाल मुंडा, आदिधर्म:, झारखण्ड प्रकाशन राँची, 2000 ई. पृ. सं.– 32
9 डॉ. रामदयाल मुंडा, आदिधर्म:, झारखण्ड प्रकाशन राँची, 2000 ई. पृ. सं.– 33
10 डॉ. एस. ए. बी. डी. हंस, होड़ो संसकिर बम्बरू, 1973
11 साक्षात्कार :–
1 लखीराम मुंडा, गाँव कोरदा राँची, 12 अप्रैल 2025
2 अमर सिंह मुंडा, गाँव सुराकोचा कोटा, खूंटी झारखण्ड 9 मार्च 2025